

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 03.10.2017

संख्या-1/सी0-214/2015 का०- 10227 /श्री आदित्य रंजन, भा.प्र.से. (झा:2015) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग सदर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें हजारीबाग सदर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/सी0-214/2015 का०- 10228 /श्री अनन्य मित्तल, भा.प्र.से. (झा:2015) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें धनबाद अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/सी0-214/2015 का०- 10229 /श्रीमती जाधव विजया नारायण राव, भा.प्र.से. (झा:2015) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें गिरिडीह अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/सी0-214/2015 का०- 10230 /सुश्री माधवी मिश्रा, भा.प्र.से. (झा:2015) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम (जमशेदपुर) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें धालभूम अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।


संख्या-1/सी0-214/2015 का०- 10231 /श्री नमन प्रियेश लकड़ा, भा.प्र.से. (झा:2015) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें गोड्डा अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/सी0-214/2015 का०- 10232 /श्री राम निवास यादव, भा.प्र.से. (झा:2015) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें देवघर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/सी0-214/2015 का०- 10233 /श्रीमती आर० रॉनीटा, भा.प्र.से. (झा:2015) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें चाईबासा अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।


2. उपर्युक्त पदों पर पदस्थापित झा.प्र.से. के पदाधिकारी पदस्थापन की प्रतीक्षा में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


03.10.17
(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/सी0-214/2015 का० - 10233/राँची, दिनांक 03.10.2017

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


03.10.17
सरकार के उप सचिव।